

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुतल विश्‍नोई (आर.ए.एस)

वाद संख्या 41/2013

निर्णय दिनांक 17.10.17

1. ओमप्रकाश
 2. बिरदीचन्द
 3. भगवान सहाय
- पुत्रान स्व0 श्री भौरीलाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम कूकस तह0 आमेर जिला जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. तारा पुत्र कुशला ब्राह्मण
निवासी ग्राम कूकस तह0 आमेर जिला जयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जयपुर

—प्रतिवादीगण



दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से ग्राम कूकस तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत हस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया है कि वादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि ख0 न0 177,237,248,335,346 कुल ख0 किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा ग्राम कूकस में स्थित थी। जिसमें वादीगण के पिता के अन्य भाइयों कल्याण, गणेश, रामनिवास पुत्रान लादू का भी हिस्सा था। आपसी समझौता कर वादीगण के पिता के अन्य भाइयों कल्याण, गणेश, रामनिवास ने अन्यत्र भूमि लेकर वर्णित भूमि ख0 न0 177,237,248,335,346 कुल ख0 किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा में अपना अधिकार समाप्त कर लिया। जिससे उक्त भूमि वादीगण के पिता/वादीगण की ही रह गई। उक्त वर्णित भूमि में से भूमि ख0 न0 335 जो कि वाद अधीन भूमि है, का भूमि एकीकरण में रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कायम किया गया। जिसमें से 10 बीघा जमीन तो वादीगण के नाम अंकित की गई परन्तु शेष 01 बीघा भूमि जो कि वादीगण की थी, को बिना किसी अधिकार व वादीगण को सूचना के अभाव में गलत तरीके से प्रतिवादी सं0 01 के नाम अंकित कर दिया गया। साथ ही उक्त भूमि ख0 न0 335 के समीप ही स्थित वादीगण की कुए की एक अन्य भूमि ख0 न0 804 रकबा 02 बिस्वा का अंकन भी प्रतिवादी सं0 01 के नाम कर दिया गया था। एकीकरण के नम्बरान के पश्चात सम्वत 2026 ग्राम कूकस में 12 मील की पैमाईश हुई। जिसके अन्तर्गत (पश्चात) वाद अधीन भूमि ख0 न0 335 के नवीन ख0 न0 797,798,799,806,807 कायम किए गए तथा भूमि का नवीन ख0 न0 806 रकबा 01 बीघा किसी अधिकार के प्रतिवादी सं0 01 के नाम अंकित कर दी गई। जो नहीं होनी चाहिए थी। जिसके बाबत वादीगण द्वारा आपत्ति (ऐतराज) व्यक्त करने पर कुए के ख0 न0 804 को तो 1/2 दुरुस्त कर दिया लेकिन भूमि ख0 न0 806 रकबा 01 बीघा का अंकन प्रतिवादी के नाम ही रहने दिया। इस गलत इन्द्राज के कारण अब प्रतिवादी की उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने की चेष्टा में है तथा वादीगण को जबरन बेदखल करना चाह रहा है। जिससे

वादीगण को अपार क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी तथा बिला वजह की मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा। हाल में ही प्रतिवादी द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने पर बिनाय दावा पैदा होकर वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर इस्तकरार इस अमर किया जावे की भूमि ख० न० 335 में 01 बीघा भूमि वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की है। जिसको ख० न० 806 में अंकित किया गया है तथा मुताबिक इस्तकरार राजस्व अभिलेखों में दुरुस्ती की जावे एवं प्रतिवादी सं० 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वो उक्त भूमि रकबा 01 बीघा में वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन सलंगन में— (1) नकल पर्चा खतौनी (वादीगण खाता सं० 55 सम्वत 2027) (2) मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण ख० न० 335 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा (3) नकल पर्चा खतौनी खाता सं० 37 (4) खतौनी एकीकरण (जमाबन्दी) सम्वत 2020 बनाम वादीगण ख० न० 177,237,248,335,346 कुल ख० किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 2 बिस्वा (5) नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008-27 (6) नकल ख० गिरदावरी सम्वत 2019 (7) रजिस्टर्ड चकबन्दी 1996-2005 व (8) पर्चा सेटलमेन्ट प्रस्तुत किये।

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा में वर्णित किया गया है कि पूर्व में ख० न० 335 प्रतिवादी के दत्तक पिता कुशला के नाम था। जिसे सम्वत 2018-19 में दौराने सेटलमेंट वादीगण के पिता एवं चाचा कल्याण, गणेश, रामनिवास की खातेदारी में 10 बीघा भूमि प्रतिवादी के पिता ने दे दी परन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में भूमि का रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा अंकित हो गया। जिसे बाद में आपसी सहमति से 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि तो वादीगण के पिता व चाचाओं को दे दी गई तथा शेष 01 बीघा भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में हुई। जिसमें से 17 बिस्वा भूमि रोड में अवाप्त हो गई। जिसका मुआवजा वादीगण ने सरकार से प्राप्त कर लिया तथा 10 बीघा भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया। परन्तु वास्तव में मौके पर कुल भूमि 11 बीघा 17 बिस्वा थी ही नहीं। जो भूमि प्रतिवादी 01 के पिता कुशलाराम ने वादीगण को दी थी। वह मात्र 10 बीघा ही थी उसी पर वे काबिज थे। एकीकरण में भूमि का रकबा सही नाप करके नहीं लिखा गया। वादीगण के कब्जेकाश्त में मात्र 10 बीघा भूमि ही थी। जितनी जमीन वादीगण के कब्जेकाश्त में थी वह उनकी खातेदारी में दे दी गई तथा जो भूमि प्रतिवादी 1 के पिता कुशला के कब्जेकाश्त में थी उसकी खातेदारी प्रतिवादी के पिता को मिली। इसी प्रकार ख० न० 804 में जो कुआ बताया गया है वह भूमि प्रतिवादी 01 खातेदारी में थी। जिसमें कुए का निर्माण खर्च प्रतिवादी 01 को देकर वादीगण ने 1/2 हिस्सा अपने नाम कराया। जो आपसी लिखावट से कराया गया तथा उसी के आधार पर रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ। ख० न० 806 प्रारम्भ से ही प्रतिवादी 01 के दत्तक पिता की खातेदारी व कब्जेकाश्त में रहा है। जो विरासत में प्रतिवादी को मिला। तथा जिसपर वह उसी समय से काबिज है परन्तु गलत तथ्य अंकित कर वादीगण प्रतिवादी को परेशान कराना चाहते हैं। वादीगण द्वारा ख० न० 806 रकबा 01 बीघा के प्रतिवादी के नाम तथाकथित गलत अंकन के दुरुस्तीकरण बाबत कभी कोई कार्यवाही सक्षम स्तर पर नहीं की गई। ना ही कुए की भूमि ख० न० 804 के 1/2 हिस्से के तथाकथित गलत अंकन बाबत कोई कार्यवाही नियत समय में सक्षम स्तर पर की गई। क्योंकि उक्त भूमियां वादीगण की थी ही नहीं। वादीगण ने जिस दीगर व्यक्ति को अपनी भूमि को बेचान किया था, उस व्यक्ति ने उक्त भूमि का एरिया समकोण करने के उद्देश्य से प्रतिवादी सं० 1 से 14 बिस्वा भूमि कय करने बाबत इकरारनामा सम्पूर्ण राशि चुकती होने पर विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करने बाबत लेखबद्ध करवा लिया तथा उक्त इकरारनामे के अनुसार भूमि पर बाउण्ड्री वाल बना

ली है। उक्त भूमि ख० न० 806 से वादीगण का कभी कोई सम्बद्ध सरोकार नहीं रहा है। प्रतिवादी सं० 01 ने ग्राम के 5 मुख्य लोगो के शपथ पत्र वाद के संदर्भ में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र में प्रस्तुत अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किए हैं। वादीगण ने पूर्व में एक झूठी रिपोर्ट भी पुलिस थाना आमेर में की थी। जिसमें सीताराम व भगवानसहाय द्वारा प्रतिवाद को वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होना बताया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा ख० न० 806 के संदर्भ में समस्त कथन गलत अंकित किए हैं। जबकि वादीगण का कभी कोई सम्बद्ध उक्त खसरा से नहीं रहा है। प्रतिवादी सं० 01 ने अपने जवाब दावा में यह भी वर्णित किया है कि प्रतिवादी सं० 01 के दत्तक पिता कुशला द्वारा ग्राम कूकस में 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता भौरीलाल व वादीगण के चाचा कल्याण, गणेश, रामनिवास को दी थी। जिसे वादीगण ने जरिये रजि० विक्रयपत्र दीगर व्यक्ति को बेचान कर उक्त रजि० विक्रयपत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि वादीगण की ग्राम कूकस में अब कोई अन्य भूमि शेष नहीं है तथा यह भी अंकित किया गया कि बेचान की गई उक्त भूमि के दक्षिण की ओर प्रतिवादी सं० 01 की भूमि है। जो कि वाद अधीन भूमि आ० ख० न० 806 है। इस प्रकार विवादित भूमि ख० न० 806 पूर्व से ही प्रतिवादी सं० 01 के कब्जेकाश में तथा प्रतिवादी की खातेदारी में रही है। जिसका लगान भी प्रतिवादी 1 ही जमा कराता आया है अतः उक्त वर्णित विवरण के आधार पर वाद वादीगण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों पर निम्न तनकीयात कायम की गई—

1. आया वादीगण भूमि ख० न० 335 जिसके नये न० 806 है जो ग्राम कूकस तह० आमेर में स्थित है, के कब्जेकाश की खातेदारी भूमि होने की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है।

—वादीगण

2. आया वादीगण घोषणा के मुताबिक इन्द्राज दुरुस्ती कराने के अधिकारी है।

—वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादी न० 01 के विरुद्ध इस अमल भी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि भूमि ख० न० 335 रकबा 1 बीघा में वादीगण के कब्जेकाश में कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का ना करें ना ही अन्य से कराये।

—वादीगण

4. आया वादीगण 10 बीघा भूमि से अधिक पर काबिज कभी भी नहीं रहे।

—प्रतिवादीगण

5. आया ख० न० 335 नये न० 806 भी भूमि प्रारम्भ से ही प्रतिवादी के पुश्तैनी कब्जेकाश में रही है।

—प्रतिवादीगण

6. आया दावा वाद कारण उत्पन्न न होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

—प्रतिवादीगण

7. आया दावा मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है।

—प्रतिवादीगण

8. अनुतोष ?

वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में साक्ष्य शपथपत्र ओमप्रकाश, कल्याण के तथा प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ख० न० 806 छायाप्रतिलिपि विक्रयपत्र ख० न०

7797, 798, 799, 804, नकल ख० गिरदावरी सम्वत 2051-52 तथा साक्ष्य शपथपत्र ताराचन्द,

लक्ष्मीनारायण, बद्रीनारायण, गोविन्दराम के प्रस्तुत किए। तत्पश्चात पत्रावली बास्ते बहस अन्तिम नियत की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को अंकित करते हुए यह भी अंकित किया गया कि वादपत्र के साथ वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र टी.आई भी प्रस्तुत किया था। जिसमें न्यायालय ने अप्रार्थी प्रतिवादी को आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया। जिसके पश्चात प्रार्थी वादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात की ओर ध्यान न देकर प्रार्थी वादी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। जिसके क्रम में प्रार्थी वादी ने उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसमें न्यायालय ने प्रार्थी वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन पश्चात विवादित भूमि ख० न० 806 के पुराने रिकार्ड के मुताबिक प्रार्थी वादी को खातेदार मानते हुए भू-प्रबन्ध की गलती मानते हुए अपील अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार की जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करने तथा कब्जेकाशत में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु निर्णय पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी प्रतिवादी ने उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जो कि पूर्व में खारिज हो चुकी है। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में सिद्धान्तः 17 बिस्वा भूमि का मुआवजा सरकार से वादीगण द्वारा प्राप्त किया जाना एवं कुल भूमि में से वादीगण के पूर्व हक-हकूक द्वारा उसके पिता को 10 बीघा भूमि हस्तान्तरण किये जाने से अवशेष 1 बीघा भूमि की अपने नाम घोषणा एवं इस्तकरार हक करवाने का मुस्त हक है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादी को खसरा न० 806 में कोई अधिकार हासिल नहीं है तथा भू-प्रबन्ध विभाग को भी केवल पूर्व के इन्द्राज को दोहराना चाहिए था। जिसके समर्थन में वादीगण द्वारा निम्न दृष्टान्त पेश किये गये-

1. 1983 आर.आर.डी पेज 64 व 364
2. 1994 आर.आर.डी पेज 204,266,761
3. आर.बी.जे (4) 1997 पेज 167

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे वर्णित किया है कि प्रतिवादी ने खसरा गिरदावरी सम्बत 2051 से अपना कब्जा विवादित भूमि हेतु अवगत किये जाने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय में माना कि एक वर्ष की गिरदावरी कोई महत्व नहीं रखती है तथा पुराने रिकार्ड के मुताबिक वादी ही खातेदार है। वादी ने अपनी बहस में यह भी वर्णित किया है कि जयपुर क्षेत्र के 12 मील के सर्वेक्षण कार्य जो वर्ष 1969 में प्रारम्भ करवाया गया तथा वर्ष 1973 में पूर्ण हुआ में वादीगण ने विवादित भूमि वादीगण के नाम न रखे जाने से इस्तकरार हक चाहा है। क्योंकि वर्ष 1969 का जो सर्वेक्षण हुआ उसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। जिस हेतु श्रीमान भू-प्रबन्ध आयुक्त राज० जयपुर द्वारा भी निर्देशित किया गया कि सर्वेक्षण 1969 जो वर्ष 1973 में पूर्ण हुआ उसे मान्यता नहीं है तथा विधानसभा अतारंकित प्रश्न सं० 5882/राजस्व चतुर्थ सत्र द्वारा प्रश्नावली (1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में जयपुर तह० के 1972 के भू-प्रबन्ध को मान्यता है? के जवाब में मान्यता नहीं होना तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दिया।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में-(1). भू-प्रबन्ध आयुक्त राज० जयपुर के पत्र क्रमांक पा/भूप्रआ/समु/भूकर/11/14/1/04/159 दिनांक 19.01.2006

(2) क्रमांक भूप्रआ/समु/ओ.आर.के/1/88/पार्ट II/576 दिनांक 12.07.1994

(3) श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के पत्र की प्रति पेश की है।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर वर्णित किया है कि वादीगण ने यह दावा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि ख० न० 177,237,248,335,346 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 2 बिस्वा थी जिसमे कल्याण, गणेश, रामनिवास पि. लादू का भी हिस्सा था। वादीगण ने आपसी सहमति से समझौता कर कल्याण,गणेश,रामनिवास को दूसरी जगह भूमि देकर उक्त कल्याण,गणेश,रामनिवास अपना अधिकार समाप्त कर लिया। जिससे वादग्रस्त भूमि वादीगण की रह गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त तथाकथित राजीनामे व अन्य दी गई भूमि का वादीगण द्वारा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने यह भी वर्णित किया है कि कल्याण पुत्र लादूराम ने प्रतिवादी के जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में इस



आशय का शपथ पत्र दिया है कि विवादित भूमि खसरा न0 806 तारा पुत्र कुशला की पुश्तैनी कब्जेकाश्तशुदा भूमि है। वादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। कुशला पुत्र नानगा ने स्वेच्छा से अपनी पैतृक खातेदारी भूमि में से 10 बीघा भूमि भौरीलाल, कल्याण, गणेश, रामनिवास पुत्रान लादू को दी थी। इन तथ्यों से वादीगण के तथ्य निराधार सिद्ध होते हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता ने यह भी वर्णित किया कि वादीगण का कथन है कि भूमि एकीकरण में भूमि खसरा न0 335 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कायम किया गया जिसमें से 1 बीघा वादीगण की भूमि गलत तरीके से प्रतिवादी के नाम कर दी गई। जबकि उक्त सन्दर्भ में एकीकरण की कार्यवाही को अब 50 वर्ष बाद चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी अधिवक्ता का यह भी कथन अंकित है कि वादग्रस्त भूमि खसरा न0 335 मूल रूप से वादीगण की पुश्तैनी भूमि नहीं है जिसमें वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। 10 बीघा भूमि वादीगण ने विक्रय कर दी है तथा 17 बिस्वा भूमि वादीगण की रोड में अवाप्त हो चुकी है। जिसका वादीगण ने वर्षों पूर्व मुआवजा प्राप्त कर लिया है। इस तथ्य को वादीगण ने जानबूझकर छिपाया है। वादीगण का यह कथन भी असत्य है कि खसरा न0 804 रकबा 2 बिस्वा जिसमें कुआ स्थित था, का अकन भी प्रतिवादी के नाम कर दिया था। जिसे दुरुस्त कर 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम कर दिया। जबकि कुए में वादीगण ने 1/2 हिस्से की राशि अदा कर हिस्सा नाम कराया है। इस कथन का वादीगण ने खण्डन नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण ने मिन प्रतिवादी के किसी भी तथ्य का जवाबुल जवाब देकर खण्डन नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के पिता कुशला पुत्र नानगा की पुश्तैनी भूमि है। जिसमें से 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के पिता ने लादू के वारिसान को स्वेच्छा से दी थी। 17 बिस्वा भूमि रोड में अवाप्त हो गई जिसका वादीगण ने मुआवजा प्राप्त कर लिया। 10 बीघा भूमि वादीगण ने विक्रय कर दी है। वर्तमान में वादीगण के पास कोई भूमि शेष नहीं है। जिस 1 बीघा भूमि का वादीगण ने जिक्र किया है वह पुश्तैनीकाल से प्रतिवादी की भूमि रही है। उक्त भूमि में से 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी स0 1 ने विक्रय कर दी है। जो क्रेता ने इसलिये क्रय की है कि उसकी बाउण्ड्री वाल सीधी हो जावे। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि वादीगण ने जो अपनी 10 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित की है उस विक्रयपत्र में यह स्पष्ट अंकित है कि वादीगण की अब कोई शेष भूमि नहीं है। जिस 1 बीघा भूमि हेतु वादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत किया है उस भूमि को स्वयं वादीगण द्वारा निष्पादित विक्रयपत्रों में प्रतिवादी की होना अंकित किया गया है। उक्त समस्त विक्रयपत्र रिकार्ड पर उपलब्ध है। जो भूमि प्रतिवादी ने कम्पनी को विक्रय की उस पर कब्जा क्रेता कम्पनी का है। यह तथ्य रिकार्ड पर होते हुये भी वादीगण ने उक्त कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है। इसके अतिरिक्त 50 वर्षों बाद दुरुस्ती बाबत दावा प्रस्तुत करना अवैध है। दावे में बेदखली का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिस कारण लिमिटेशन रहा हैं अर्थात् दावा मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से वादीगण का वाद खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।



हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तनकीवाईज निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है—

तनकी नंबर 1 : आया वादीगण भूमि ख0 न0 335 जिसके नये न0 806 है जो ग्राम कूकस तह0 आमेर में स्थित है, के कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि होने की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात नकल पर्चा खतौनी, मिलान क्षेत्रफल, नकल पर्चा खतौनी वादीगण, खतौनी एकीकरण दिनांक 24.01.1997, नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2008-27, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2019, रजिस्टर चकबंदी 1996 से 2005, पर्चा सेटलमेंट एवं वादी के साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 लगायत 3 तथा साक्ष्य प्रतिवादी की जिरह के अवलोकन से वादपत्र में अंकित यह तथ्य साबित है कि—

वादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि ख0 न0 177,237,248,335,346 कुल ख0 किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा ग्राम कूकस में स्थित थी। जिसमें वादीगण के पिता

के अन्य भाइयों कल्याण, गणेश, रामनिवास पुत्रान लादू का भी हिस्सा था। आपसी समझौता कर वादीगण के पिता के अन्य भाइयों कल्याण, गणेश, रामनिवास ने अन्यत्र भूमि लेकर वर्णित भूमि ख० न० 177,237,248,335,346 कुल ख० किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा में अपना अधिकार समाप्त कर लिया। जिससे उक्त भूमि वादीगण के पिता/वादीगण की ही रह गई। उक्त वर्णित भूमि में से भूमि ख० न० 335 जो कि वाद अधीन भूमि है, का भूमि एकीकरण में रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा कायम किया गया। जिसमें से 10 बीघा जमीन तो वादीगण के नाम अंकित की गई परन्तु शेष 01 बीघा भूमि जो कि वादीगण की थी, को बिना किसी अधिकार व वादीगण को सूचना के अभाव में गलत तरीके से प्रतिवादी सं० 01 के नाम अंकित कर दिया गया। साथ ही उक्त भूमि ख० न० 335 के समीप ही स्थित वादीगण की कुए की एक अन्य भूमि ख० न० 804 रकबा 02 बिस्वा का अंकन भी प्रतिवादी सं० 01 के नाम कर दिया गया था। एकीकरण के नम्बरान के पश्चात सम्वत 2026 ग्राम कूकस में 12 मील की पैमाईश हुई। जिसके अन्तर्गत (पश्चात) वाद अधीन भूमि ख० न० 335 के नवीन ख० न० 797,798,799,806,807 कायम किए गए तथा भूमि का नवीन ख० न० 806 रकबा 01 बीघा किसी अधिकार के प्रतिवादी सं० 01 के नाम अंकित कर दी गई। जो नहीं होनी चाहिए थी। जिसके बाबत वादीगण द्वारा आपत्ति (ऐतराज) व्यक्त करने पर कुए के ख० न० 804 को तो 1/2 दुरुस्त कर दिया लेकिन भूमि ख० न० 806 रकबा 01 बीघा का अंकन प्रतिवादी के नाम ही रहने दिया।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा वर्ष 1969 के सर्वेक्षण कार्य को मान्यता नहीं देने का आदेश दिनांक 19.01.2006, 12.07.1994, भू प्रबंध का फैसला दिनांक 09.08.1972 निर्णय राजस्व अपील अधिकारी दिनांक 22.03.1997 एवं प्रस्तुत दृष्टांत 1983 आर आर डी 64 व 364, 1994 आर आर डी 204 व 266 व 761, 1997 आर बी जे (4) 167 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि भू प्रबंध विभाग को केवल मात्र पूर्व एंट्री को रिपीट करने का अधिकार था इसके बावजूद भी जयपुर क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य जो वर्ष 1969 में प्रारंभ करवाया गया व वर्ष 1973 में फाइनल हुआ उसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया इस हेतु भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक भू प्र आ/सभु/ ओ.आर.के/1/88/पार्ट 17 दिनांक 12.07.1994 द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त सर्वेक्षण की मान्यता नहीं है। उक्त सर्वेक्षण में वादीगण को अवशेष 1 बीघा भूमि अपने नाम कराने का अधिकार है प्रतिवादी के द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2051 से अपना कब्जा विवादित भूमि हेतु अवगत किये जाने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.1997 में माना है कि एक वर्ष की गिरदावरी कोई महत्व नहीं रखती तथा पुराने रिकार्ड के मुताबिक वादी ही खातेदार है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि भूमि खसरा नंबर 335 जिसके नए खसरा नंबर 806 हैं वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है इस प्रकार तनकी नंबर 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 2 : आया वादीगण घोषणा के मुताबिक इन्द्राज दुरुस्ती कराने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नंबर 1 के विवेचन के अनुसार वादीगण विवादित भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने नाम कराने के अधिकारी हैं अतः घोषणा के मुताबिक इन्द्राज दुरुस्ती कराने के वादीगण अधिकारी हैं।

अतः तनकी नंबर 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।



तनकी नंबर 3 : आया वादीगण प्रतिवादी न0 01 के विरुद्ध इस अमल भी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि भूमि ख0 न0 335 रकबा 1 बीघा में वादीगण के कब्जेकाशत में कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का ना करें ना ही अन्य से कराये। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी नंबर 1 व 2 वादीगण के पक्ष में साबित होने से वादीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार हैं अतः उन्हे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकार हासिल है कि भूमि खसरा नंबर 335 रकबा 1 बीघा वादीगण के कब्जा काशत में हस्तक्षेप नहीं करें। अतः तनकी नंबर 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 4 : आया वादीगण 10 बीघा भूमि से अधिक पर काबिज कभी भी नहीं रहे।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है किन्तु प्रतिवादी उक्त तनकी को साबित नहीं कर पाया है जैसाकि तनकी नंबर 1 में निर्णित हुआ है कि संवत 2026 की पैमाइश में एक बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम गलत रूप से लगा दी गई जबकि वादीगण की पूर्व में 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि रहीं है उक्त संवत 2026 के सर्वेक्षण को राज्य सरकार द्वारा नहीं माना गया ना ही भू प्रबंध विभाग को प्रतिवादी के नाम खातेदारी अंकन का अधिकार था अतः तनकी नंबर 4 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 5 : आया ख0 न0 335 नये न0 806 भी भूमि प्रारम्भ से ही प्रतिवादी के पुश्तैनी कब्जेकाशत में रही है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी उक्त तनकी को साबित करने में असमर्थ रहा है जैसाकि तनकी नंबर 1 में निर्णित हुआ है कि विवादित भूमि 11 बीघा 17 बिस्वा वादीगण के पिता के कब्जे काशत में थी तथा भू प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नंबर 806 की 1 बीघा भूमि गलत रूप से प्रतिवादी के नाम अंकित कर दी गई उक्त भूमि प्रतिवादी की पुश्तैनी कब्जे काशत में नहीं रही है अतः तनकी नंबर 5 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 6 : आया दावा वाद कारण उत्पन्न न होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि विवादित भूमि के गलत खातेदारी इंड्राज के कारण प्रतिवादी उक्त भूमि को हस्तांतरित करने की चेष्टा में है तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकी दिए जाने के कारण बिनाय दावा पैदा होकर वाद पेश किया गया है अतः तनकी नंबर 6 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 7 : आया दावा मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीगण के द्वारा दावा इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जिसके लिए राज0 काशत0 अधिनियम 1955 में कोई मियाद निश्चित नहीं है तथा संवत 2026 मे भू प्रबंध विभाग द्वारा किए गए एकीकरण/पैमाइश को राज्य सरकार द्वारा निरस्त माना गया है अतः तनकी नंबर 7 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के मददेनजर तनकी नंबर 1 ता 3 वादीगण के पक्ष में तथा तनकी नंबर 4 ता 7 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाता है। वादीगण को साबिक खसरा नंबर 335 हाल खसरा नंबर 806 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम कूकस तहसील आमेर जिला जयपुर का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तदनुसार रिकार्ड दुरुस्ती की जावे। प्रतिवादी सं. 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह



उक्त भूमि में वादीगण के कब्जे काशत में हस्तक्षेप नहीं करें। अंतिम डिक्री जारी हो।
पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हों।



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) आमेर मु० जयपुर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु० जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी कुंतल विश्नोई (आर.ए.एस)

वाद संख्या 41/2013

निर्णय दिनांक 17.10.2017

- | | | |
|---------------|--|---------------------------|
| 1. ओमप्रकाश | | पुत्रान स्व0 श्री भौरीलाल |
| 2. बिरदीचन्द | | |
| 3. भगवान सहाय | | |

समस्त जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम कूकस तह0 आमेर जिला जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. तारा पुत्र कुशला ब्राहमण
निवासी ग्राम कूकस तह0 आमेर जिला जयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जयपुर



—प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 17.10.2017

तनकी नंबर 1 ता 3 वादीगण के पक्ष में तथा तनकी नंबर 4 ता 7 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है। वादीगण को साबिक खसरा नंबर 335 हाल खसरा नंबर 806 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम कूकस तहसील आमेर जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार रिकार्ड दुरुस्ती की जावे। प्रतिवादी सं. 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह उक्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 17.10.2017 को जारी किया ।

दस्तख्त——

ओहदा——

सहायक एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर
 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर

मुदवाई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय	4 रूपये		बबत् इजराय	4 रूपये	
हुक्मानामा			हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		